खण्ड–13, अंक–02
मंगलवार, 01 चैत्र, शक संवत् 1927
(दिनांक 22 मार्च, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

590

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2005)

(खण्ड 13 में 09 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

विषय–सूची

590

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा जैनी प्रकरण पर चर्चा की मांग ...	1–2
प्रश्नोत्तर	3–7
डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा जैनी प्रकरण पर चर्चा की पुनः मांग ...	7–9

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गगन सिंह
14. " गणेश प्रसाद गोदियाल
15. " गोपाल सिंह राणा
16. " गोविन्द लाल
17. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. " चन्द्रशेखर
19. " जोत सिंह
20. " तसलीम अहमद
21. " तिलक राज बेहड़
22. " तेजपाल सिंह रावत
23. " दिनेश अग्रवाल
24. " नवप्रभात
25. " नारायण पाल
26. " नारायण राम आर्य
27. " नारायण सिंह जंतवाल
28. " प्रकाश पंत
29. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. डा0 प्रताप बिष्ट
31. श्री प्रदीप टम्टा
32. " प्रीतम सिंह
33. " प्रीतम सिंह पंवार
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. " पुष्पेश त्रिपाठी
36. " फूल सिंह बिष्ट
37. " बलवीर सिंह नेगी
38. " विजयपाल सिंह सजवाण
39. " विशन सिंह चुफाल
40. " भगत सिंह कोश्यारी
41. " मदन कौशिक
42. " मंत्री प्रसाद नैथानी
43. " महेन्द्र भट्ट
44. " महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
45. " मातबर सिंह कण्डारी
46. " माल चन्द्र
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री रणजीत सिंह
49. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50. " राम प्रसाद टम्टा
51. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52. श्री शूरवीर सिंह
53. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54. श्री सहजाद
55. " सुबोध उनियाल
56. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. " सुरेश चंद
59. डॉ0 हरक सिंह रावत
60. श्री हरबंस कपूर
61. " हरभजन सिंह चीमा
62. " हरिदास
63. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. " हीरा सिंह बिष्ट
65. " हेमेश खर्कवाल
66. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनाँक 22 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा जैनी प्रकरण पर चर्चा की मांग

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, मेरा पीठ के प्रति पूरा सम्मान है लेकिन बिना किसी नियम के आज चर्चा करा लें। जिस प्रकार से पीठ ने मेरे मामले में उस दिन निर्देश दिये थे, जाँच के आदेश दिये थे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैने कल भी आपसे लिखित रूप में नोटिस देने का अनुरोध किया था।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्नकाल से कोई आपत्ति नहीं है, आप केवल चर्चा का समय तय कर दें। प्रश्नकाल के बाद चर्चा की जा सकती है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड़यंत्र किया है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी "क" अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 मदन कौशिक जी, आप प्रश्न करें।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन को व्यवस्थित किया जाए फिर मैं अपना प्रश्न पूछूँगा। जब सदन व्यवस्थित नहीं है, तो मैं प्रश्न किस प्रकार से करूँ।

(घोर व्यवधान)

(डॉ0 हरक सिंह रावत, श्री प्रदीप टम्टा तथा श्री रणजीत सिंह रावत जी अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, यह सदन की गरिमा का सवाल है। किसी एक सदस्य का सवाल नहीं है।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है कि आप चर्चा करा लें, यह केवल हरक सिंह रावत का सवाल नहीं है। मान्यवर, उस दिन बिना किसी नियम के एक नई परम्परा मेरे लिए डाली गई थी। उस दिन मेरे कपड़े उतारे गये थे, देश और प्रदेश की जनता के सामने। मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। यह पूरे सदन का सवाल है। यह पीठ का सवाल है। आज पूरे प्रदेश की जनता, गाँव में बैठे हुए लोग जिन्होंने हमें विश्वास के साथ चुनकर यहाँ भेजा है, वे भी हमारी ओर उँगली उठा रहे हैं। क्या उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर इसलिए चुनकर भेजा है? इस प्रदेश में यह सब कुछ नहीं चलेगा। बिना नियम के एक गलत परम्परा उस दिन डाली गई, रात को 12.00 बजे एक समिति का गठन किया गया। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं। हमने बड़े विश्वास के साथ आपको इस पीठ पर सर्वसम्मति से बिठाया है, उस दिन आपने बिना प्रश्नकाल के, प्रश्नकाल स्थगित करके 3.00 बजे तक रिपोर्ट आने का इंतजार किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि जो भी इस षड्यंत्र का दोषी है, उसका पर्दाफाश हो। पूरे प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि हमारे प्रदेश के निर्वाचित विधायक को किस प्रकार से एक कॉल गर्ल के कहने पर दोषी मान लिया। वे कौन लोग थे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में घाटे में चल रहे फलोद्यानों हेतु कार्य योजना

**1. श्री मदन कौशिक–

1. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने फलोद्यान लाभ एवं कितने घाटे में चल रहे हैं?

2. क्या सरकार घाटे में चल रहे फलोद्यानों को उबारने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है?

3. यदि हाँ, तो क्या?

4. यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे 27 उद्यानों में से 2 उद्यान लाभ में तथा 25 उद्यान घाटे में चल रहे हैं।

जी हाँ।

प्रत्येक उद्यान के लिए कार्य योजना इस प्रकार बनाई गयी है कि जलवायु के अनुसार उसमें फल, सब्जी, आलू आदि की निर्धारित प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री तथा बीज आदि का उत्पादन किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

देहरादून में यात्रियों की सुविधा हेतु रेन शैल्टर या स्टैण्ड स्थापित किये जाने के मानक

*1. श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए कितने रेन शैल्टर या स्टैण्ड स्थापित किये गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मानक निर्धारित किये गये हैं?

नोट– उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

शहरी विकास मंत्री (श्री नवप्रभात)–

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं के लिए 23 यात्री शेड स्थापित किये गये हैं।

विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग की संस्तुति के आधार पर स्थल चयन किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

नई टिहरी में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के प्रकरण एवं इनके रोकथाम के उपाय

श्री किशोर उपाध्याय–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी में आवारा कुत्तों द्वारा अनेक लोगों को काटा गया है?

यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोक–थाम हेतु क्या उपाय कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ। कई प्रकरण हुए हैं।

जी हाँ, नगर पालिका द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनंपद उत्तरकाशी में मल्ला–बेलक घुत्तू–त्रिजुगीनारायण–गौरीकुण्ड के मोटर मार्ग का निर्माण

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मल्ला–बेलक घुत्तू–त्रिजुगीनारायण–गौरीकुण्ड तक के मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है?

क्या इस मार्ग के निर्मित हो जाने के कारण चारों धाम यात्रा मोटर मार्ग की दूरी 100 कि0मी0 कम हो जायेगी?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

जी नहीं।

यह सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में तहसील से हरिशंकर होते हुये चौण्डी, रौता, कनकचोरी मोटर मार्ग का निर्माण

3. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के पोखरी तहसील से हरिशंकर होते हुए चौण्डी, रौता, कनकचोरी मोटर मार्ग के निर्माण पर सरकार विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

आई0आर0क्यू0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

4. श्री हरबंस कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि आई0आर0क्यू0पी0 योजना के अन्तर्गत राज्य में सड़क निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है?

यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष में जनपद देहरादून की सड़कों हेतु उक्त योजना में कोई धनराशि नियत की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

रु0 541.24 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं धराड़ी सुकरियापानी के अवशेष मार्ग का निर्माण

5. श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार–नागधूणा–चौरपाल मोटरमार्ग डामरीकरण एवं शेष मार्ग धराड़ी–नागधूणा–चौरपाल सुकरियापानी के निर्माण के आदेश मुख्यमंत्री के पत्रांक–1611/ मु0मं0का0/आवास, दिनांक 01–12–2004 द्वारा दिये हैं?

यदि हाँ, तो क्या तत्सम्बन्धी आदेश जारी हो गये हैं और कब तक डामरीकरण एवं मार्ग के शेष भाग का निर्माण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

गंगोलीहाट–पव्वाधार–नागधूणा–चौरपाल मोटर मार्ग के डामरीकरण का आगणन गठित किया जा रहा है।

शासनादेश सं0 59/लो0नि0 2/04–41 (प्रा0आ0)/2003, दिनांक 22 जनवरी, 2004 के द्वारा चौरपाल से नागधूणा सुकरियापानी मोटर मार्ग (लम्बाई 9.00 किमी0) हेतु रु0129.60 लाख एवं गंगोलीहाट–पव्वाधार–चौरपाल मोटर मार्ग के दुसरे छोर धराड़ी से चौरपाल मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00 किमी0) हेतु रु0 86.00 लाख की स्वीकृति पूर्व से ही प्रदत्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चटौर नामक वृक्ष की पैदावार बढ़ाने की योजना

6. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 8000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाये जाने वाले चटौर नामक वृक्ष के बीज का तेल खाने व आयुर्वेदिक दवाईयों के काम आता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन वृक्षों की पैदावार बढ़ाये जाने हेतु योजना बनाई जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवप्रभात–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में 800 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाये जाने वाले समस्त वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, चटौर नामक वृक्ष प्रजाति की पैदावार बढ़ाने के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपज की बिक्री की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। तद्पश्चात् समग्र योजना बनायी जायेगी।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

डॉ0 हरक सिंह रावत द्वारा जैनी प्रकरण पर चर्चा की पुनः मांग

*डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये। मैंने भी आपसे कई बार अनुरोध किया है।

(घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह माननीय विधायक की गरिमा का सवाल है।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। प्रदेश की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। प्रदेश की जनता हमारी ओर देख रही है। इस बात को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय सदस्य डॉ0 हरक सिंह रावत जी द्वारा माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में वाद संख्या 1692/2003, दिनांक 04 अगस्त, 2003 योजित किया गया था, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायाधीश, श्री डी0पी0 सिंह द्वारा की जा रही है। दण्डित वाद संख्या 1503/2004 के मुकदमे में दिनांक 05 अप्रैल, 2005 की तिथि निर्धारित है। यह मुकदमा आई0पी0सी0 की धारा–120–बी0 (षडयंत्र), धारा–21 (झूठे आपराधिक आरोप लगाना) धारा–500 (मानहानि) के अन्तर्गत दर्ज है। मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा सदन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वही आरोप माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस सदन में इस पर किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जा सकता।

(घोर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय न्यायालय में मामला दर्ज हुआ है, ये जब सी0बी0आई0 की जांच पूरी नहीं हुई थी ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। हम अविश्वास प्रस्ताव की आज्ञा चाहते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

ी अध्यक्ष–

हम उठते हैं, दिनांक 28 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

इसके बाद सदन 12 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन 28 मार्च, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा
उत्तरांचल।

देहरादून
दिनांक : 22 मार्च, 2005

एस0यू0(आर0ई0)18 वि0स0 / 503–14–12–2005–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।